नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 263 की भूमि का पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 08.04.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 08.04.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 7 दिनांक 10.12.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामगोपाल, रामप्रसाद ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान मांगीलाल पुत्र चन्द्रसिंह, चेनाराम पुत्र रामनिवास तथा भू.अभि.निरीक्षक फरड़ोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा बुगरड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 263 रकबा 8.05 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : **आदेश** : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बुगरड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 263 रकबा 8.05 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामगोपाल पुत्र गंगाविशन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बुगरड़ा का खेत खसरा नंबर 263 रकबा 8.05 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner